राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2021–22 / 2545 दिनांक 17.8.2021

दिशा–निर्देश

(सत्र 2021–22)

थैरेपिटिक सेवाएं (Therapeutic Services)

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर स्थापित संदर्भ कक्षों पर गंभीर दोष से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु संबंधित ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर थैरेपिक संबंलन प्रदान करने के उद्देश्य से थैरेपिटक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना है। थैरेपिटक सेवाएं में पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं साईकोलॉजिकल काउंसलिंग) एवं पेरेन्ट्स काउसंलिंग कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

i) पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (Rehabilitation/Therapy specialist)

वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2021–22 के अनुसार राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं में दोष की तीव्रता कम करने तथा उनकी अधिशेष क्षमताओं के अभिवर्द्धन हेतु संदर्भ कक्षों पर विभिन्न पुनर्वास विशेषज्ञ यथा फीजियोथैरेपिस्ट (Physiotherapist), स्पीच थैरेपिस्ट (Speech Therapist), क्लीनिकल साईकॉलोजिस्ट (Psychologist) आदि की सेवाएं मानदेय / विजिट के आधार पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. फीजियोथैरेपिस्टः–

- **अपेक्षित योग्यता :– मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी (M.P.T) / बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (B.P.T)**
- **कार्य :–**
  - ⇨ ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की फीजियो थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
  - ⇨ कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
  - ⇨ विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
  - ⇨ विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबंलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबंलन का समय–समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
  - ⇨ बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए *intervention* का पुनर्निर्धारण किया जाना।
  - ⇨ बालक–बालिकाओं की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

- **मानदेय :-**
  - ⇨ फिजियोथैरेपिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/–प्रति बालक–बालिका एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति बालक–बालिका मानदेय देय होगा।
  - ⇨ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  - ⇨ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  - ⇨ फीजियोथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2. स्पीच थैरेपिस्ट :-

- **अपेक्षित योग्यताः– बैचलर ऑफ ऑडियोलोजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (B.A.S.L.P)/डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (D.H.L. S)**
- **कार्यः–**
  - ⇨ ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की स्पीच थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
  - ⇨ कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
  - ⇨ विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
  - ⇨ बालक–बालिकाओं को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबंलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबंलन का समय–समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
  - ⇨ विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए पुनर्निर्धारण किया जाना।
  - ⇨ बालक–बालिकाओं की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।
- **मानदेय :-**
  - ⇨ स्पीच थैरेपस्टि हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/–प्रति बालक–बालिका एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति बालक–बालिका मानदेय देय होगा।
  - ⇨ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  - ⇨ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  - ⇨ स्पीचथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

3. क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट :-

- **अपेक्षित योग्यताः– डिप्लोमा इन क्लिनिकल साईकॉलोजी/एमएससी (क्लिनिकल साईकॉलोजी)**
- **कार्य :-**
  - ⇨ ब्लॉक पर चिन्हित मानसिक विमन्दित बच्चों का I.Q. Level तय करना।
  - ⇨ बालक–बालिकाओं के प्फण स्मअमस के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण करना।
  - ⇨ बालक–बालिकाओं के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु कार्यक्रम निर्धारण करना।

- ⇨ बालक–बालिकाओं के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के संचालन के लिए ब्लॉक संदर्भ शिक्षकों एवं अभिभावकों को परामर्श/प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ⇨ बालक–बालिकाओं के संबंध में संदर्भ शिक्षक एवं अभिभावकों की विशिष्ट क्षमता अभिवर्द्धन करना।
- ⇨ बालक–बालिकाओं की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

- **मानदेय :-**
  - ⇨ क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/–प्रति बालक–बालिका एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति बालक–बालिका मानदेय देय होगा।
  - ⇨ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  - ⇨ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  - ⇨ साईकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

अन्य प्रावधान :-

- बालक–बालिकाओं तथा संरक्षकों हेतु नाश्ते की व्यवस्था नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जावे।
- थैरेपिक संबंलन के दिन बालक–बालिकाओं एवं अभिभावकों के नाश्ते हेतु ₹ 15/– प्रति संभागी की दर से व्यय किया जा सकेगा।
- बालक–बालिकाओं व अभिभावकों को साधारण रेल/बस का वास्तविक किराया परिषद कार्यालय द्वारा संदर्भ कक्ष हेतु जारी परिपत्रानुसार देय होगा।
- उक्तानुसार समस्त रिकोर्ड का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जायेगा।
- जिले में ब्लॉक की संख्या तथा बालक–बालिकाओं की संख्या के आधार पर एक से अधिक पुनर्वास विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेगी परन्तु, किसी भी स्थिति में व्यय जिले को आवंटित बजट राशि से अधिक नही किया जा सकेगा।
- जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले में चयनित पुनर्वास विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व संपूर्ण माह का विजिट कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जायेगा। विजिट कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिमाह प्रत्येक पुनर्वास विशेषज्ञ की कम से कम एक बार विजिट सुनिश्चित हो। कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।
- बालक–बालिकाओं को पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित तिथियों में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/ संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा। विजिट दिवस को कम से कम 10 पात्र बालक–बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यदि इससे कम संख्या में बालक–बालिकाएं उपस्थित रहते है, तो सीबीईओं द्वारा संबंधित के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
- उक्त कार्यक्रम के संपूर्ण पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ की होगी।
- पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ जिला परियोजना समन्वयक उक्त दरों पर वर्ष पर्यन्त कार्य करने हेतु ₹50 के नॉनज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर एम.ओ.यू करेंगे।
- **यदि पुनर्वास विशेषज्ञ एम.ओ.यू के पश्चात् संतोषप्रद कार्य नहीं करते है तो उनके पंजीकरण निरस्ती हेतु लिखा जा सकेगा।**

- जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर उक्त विशेषज्ञों के चयन की योग्यता का उल्लेख करते हुए स्थानीय एक या दो दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम पठनीय साइज में **(दिशा–निर्देश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में) विज्ञप्ति जारी करेंगे** व प्रति बालक–बालिका की न्यूनतम दर के आधार पर योग्य विशेषज्ञ का चयन पारदर्शिता से सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।
- पुनर्वास विशेषज्ञों का चयन उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप ही जिला स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में परिषद स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
- **एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में परिषद कार्यालय से निर्गत पत्र क्रमांक 5979 दिनांक 05.09.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।**

वित्तीय प्रावधान :–

- **पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था हेतु हेतु राशि ₹10,000/– रूपये प्रति ब्लॉक का प्रावधान।**
- प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रगति की सूचना निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

क्रं. सं.	नाम पुनर्वास विशेषज्ञ	विशेषज्ञता का क्षेत्र	इस माह में असेसमेन्ट किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	इस माह में फोलोअप किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	असेसमेन्ट तथा फॉलोअप के पश्चात् बच्चों में परिलक्षित सुधार

ii) अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम (Parents Counselling Programme)

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् राज्य के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की पहचान के पश्चात् उनके लिये आवश्यक सहायक सामग्री, अंग उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रबन्ध करते हुये शिक्षण व्यवस्था संदर्भ कक्ष/विद्यालयों में की जाती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में गंभीर दोष से प्रभावित बालक–बालिकाओं के माता–पिता अपेक्षित सम्बलन सेवाएं उपलब्ध करवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अभिभावकों को इस स्थिति से उबारने एवं बालक–बालिकाओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के तहत् इन बालक–बालिकाओं के अभिभावकों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

- ✓ पेरेन्ट्स काउंसलिंग **संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार** (सितम्बर एवं दिसम्बर, 2021) आयोजित की जायेगी।
- ✓ **पेरेन्ट्स काउंसलिंग में सभी तीन श्रेणियों (VI, HI & MR) के संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक) की उपस्थिति अनिवार्य है।**
- ✓ **संदर्भ कक्ष/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किसी श्रेणी विशेष के संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (व0अ0) उपलब्ध न होने की स्थिति में ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय से उस श्रेणी के विशेष शिक्षक को पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु लगाया जाना सुनिश्चित करें।**

- ✓ काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) / विशेष शिक्षक (व0अ0) द्वारा पैरेन्ट्स के सहयोग से बालक–बालिकाओं की केस हिस्ट्री संलग्न प्रपत्र में तैयार की जावेगी एवं प्रत्येक बालक–बालिकाओं हेतु पृथक्–पृथक् फाईल का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जावेगा। काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) / विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक) द्वारा पैरेन्ट्स को भावनात्मक सम्बलन प्रदान करते हुये बालक–बालिकाओं के लिये उपयुक्त पुनर्वास आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ अभिभावकों को समावेशित शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर बालक–बालिकाओं की अधिकतम भागादारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ अभिभावकों को बालक–बालिकाओं के लिये **"अतिसुरक्षा एवं परित्याग"**की प्रवृत्ति समाप्त करते हुये बालक–बालिकाओं के लिये घर–परिवार में सामान्य वातावरण एवं सामान्य व्यवहार हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ यदि बालक–बालिका द्वारा किसी अंग–उपकरण का उपयोग किया रहा है तो इनकी देखभाल व निरन्तर कार्यकुशलता के लिए अभिभावक को जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- ✓ बालक–बालिकाओं के दोष की गंभीरता के नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण करते हुये अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ होमबेस्ड एज्यूकेशन के बालक–बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष में उपलब्ध करवाये जाने वाले शैक्षिक / थैरेपिक संबलन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों के साथ सहानुभूति (Sympathy) के स्थान पर तदनुभूति (Empathy) का सिद्धान्त अपनाया जाये ताकि अभिभावक हीनता की भावना महसूस ना करें।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्वों के क्रम में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों तथा संगठनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- ✓ बालक–बालिकाओं एवं अभिभावकों को पेरेन्ट काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति **(IEd)** एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति **(CWSN)**/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान लंच के पूर्व सभी अभिभावकों को एक साथ काउंसलिंग प्रदान की जायेगी एवं लंच उपरान्त अलग–अलग विकलांगता श्रेणी **(VI, HI & MR)** के अनुसार संबंधित संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षक (व0अ0) द्वारा काउंसलिंग प्रदान की जायेगी।
- ✓ परिषद् कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित मॉड्यूल के आधार पर पेरेन्ट्स काउंसलिंग करवायी जायेगी।

पेरेन्ट काउंसलिंग हेतु अन्य बिन्दु –

- ✓ वीआई, एचआई, एमआर, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहुविकलांगता श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के पेरेन्ट्स हेतु पेरेन्ट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
- ✓ अभिभावकों एवं बालक–बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (व0अ0) द्वारा संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को समय पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।
- ✓ जिला कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम की योजना बनाकर समस्त ब्लॉक को भिजवायी जायेगी। कार्यक्रम के सफल कियान्वयन का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।
- ✓ कार्यक्रम समापन उपरान्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा एकीकृत रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।
- ✓ कोविड–19 के कारण विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम Online संचालित किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान :–

- सत्र में दो पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु अधिकतम राशि ₹20,000/–प्रति ब्लॉक का प्रावधान है। प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	संभागियों की संख्या	दर ₹	राशि
1	संभागियों हेतु चाय, भोजन व्यवस्था।	100	60	₹6000
2	स्टेशनरी व अन्य व्यय।	एकमुश्त		₹500
3	संभागियों हेतु आने–जाने का किराया।	वास्तविक		₹3500
		योग		₹ 10,000

- **आवश्यकता होने पर एक उपमद में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय होने के स्थिति में अन्य उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है किन्तु कुल व्यय ₹ 10,000/– प्रति पेरेन्ट काउंसलिंग कार्यक्रम से अधिक नहीं होना चाहिए।**
- पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जनवरी माह में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु प्रति दिवस अधिकतम 50 अभिभावकों एवं 50 बच्चों को ही आमंत्रित किया जायेगा।
- उक्त मानदण्डानुसार पेरेन्ट्स काउंसलिंग संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार सितम्बर एवं दिसम्बर, 2021 में आयोजित किया जाना है।

मॉनिटरिंग :-

- कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीबीईओ संबंधित ब्लॉक व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- काउंसलिंग कार्यक्रम का रिकार्ड संधारण ब्लॉक कार्यालय एवं संदर्भ कक्ष पर निम्न प्रारूप में किया जायेगा :–

क्र. सं.	नाम अभिभावक	बालक का नाम	दोष का प्रकार	पता	दूरभाष न.	हस्ताक्षर अभिभावक	प्रदत्त परामर्श का संक्षिप्त विवरण

इस परिप्रेक्ष्य में जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार कार्यवाही कर परिषद् कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करायेंगे।

➢ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि की प्रक्रिया के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।**

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2021–22 / 2545 दिनांक : 17.8.2021

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा .....

(जिले का नाम)

विज्ञप्ति

जिले में स्थापित संदर्भ कक्षों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के असेसमेन्ट पश्चात् अपेक्षित संबलन प्रदान करने हेतु फीजियो थैरेपिस्ट,स्पीच थैरेपिस्ट व क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाओं की प्रति विजिट प्रति बालक–बालिका की दर के आधार पर आवश्यकता है। इच्छुक नियमानुसार योग्यता प्राप्त व्यक्ति एवं नियमानुसार पंजीकृत एव मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु दरें अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। दरें प्रारम्भिक असेंसमेन्ट व फोलोअप कार्य दोनों हेतु अलग–अलग देनी होगी।

जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला.....

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2021–22 / दिनांक

केस हिस्ट्री

1. बालक का नाम .....
2. पिता / माता का नाम .....
3. आयु .....
4. दोष का प्रकार एवं श्रेणी .....
5. स्थायी पता एवं दूरभाष न0 .....
   .....
6. बालक से संबंधित समस्याएं यदि कोई हो तो .....
7. बालक की वर्तमान स्थिति
   (ए) दैनिक जीवन के क्रियाकलाप (बी) सामाजिक कौशल
   (सी) शैक्षणिक कौशल (डी) पूर्व व्यावसायिक कौशल
8. बालक में दोष के कारण
   (ए) जन्म से पूर्व
   (बी) जन्म के समय
   (सी) जन्म के पश्चात्
9. बालक के दोष का ज्ञान कब व किसके द्वारा हुआ ?
   .....
10. अभिभावकों के द्वारा किए गए प्रारम्भिक प्रयास :–
    .....
11. बालक को वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही होमबेस्ड एजूकेशन के दौरान बच्चे में सुधार की स्थिति –
    .....
    .....
12. बालक हेतु किसी अंग व उपकरण अथवा सहायक सामग्री की आवश्यकता :–
    .....
13. बालक को उपलब्ध करवाई गई सहायता का विवरण :–
    .....
14. बालक के अंग व उपकरण की वर्तमान स्थिति :–
    .....

15. बालक के प्रभावी विकास हेतु किए जाने वाले उपचारात्मक प्रयास :–

.....

.....

.....

16. बालक के प्रभावी विकास हेतु अभिभावकों से अपेक्षाएँ :–

.....

.....

.....

17. विशेष विवरण :–

.....

.....

.....

दिनांक :–

हस्ताक्षर .....

संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक)